राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: trainings rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प / जय / Training / 2018–19 / 9424 दिनांक : 14.12.2018

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

अति–महत्वपूर्ण

विषय – दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2018 को जिला मुख्यालय पर आयोजित एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण के संबंध में।

संदर्भ – रास्कूशिप / जय / प्रशिक्षण / 2018–19 / 9362 दिनांक 13.12.2018 के संदर्भ में।

जिलों में शिक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो में नेतृत्व क्षमता विकास तथा परियोजना की समझ बनाने हेतु **दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2018 को राज्य स्तर से गठित दो सदस्यीय प्रशिक्षक दल द्वारा जिला स्तर पर आमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाना हैं।** प्रशिक्षण अवधि एक जिले हेतु एक दिवस निर्धारित की गई है। इस विषय में आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है –

1. उक्त प्रशिक्षण / कार्यशाला में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की निम्नानुसार उपस्थिति **सुनिश्चित** की जावे :–

प्रशिक्षण का विषय, दिनांक एवं अवधि	संभागी	समय एवं प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षक	विशेष बिन्दु
विभागीय एवं परियोजना संबंधी प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो के संबंध में क्षमता सवंर्धन। (दिनांक 20, 21 एवं 22 दिसम्बर 2018, एक जिले हेतु एक दिवस निर्धारित)	**जिला कार्यालयों से –** i) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा ii) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि. iii) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. iv) सहायक निदेशक, समसा (CDEO कार्यालय) v) सहायक परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त vi) अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि. vii) अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. viii) कार्यक्रम अधिकारी (PO), समसा, समस्त ix) संदर्भ व्यक्ति, CWSN (CDEO कार्यालय) **ब्लॉक कार्यालयों से :–** i) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) एवं पदेन बी.आर.सी.एफ (BRCF) ii) अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम (ACBEO-I) iii) अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय (ACBEO-II) iv) संदर्भ व्यक्ति, समस्त v) संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला मुख्यालय पर निर्धारित स्थल।	राज्य स्तर से गठित प्रशिक्षक दल।	• संभागियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण स्थल का चयन कर निर्धारित स्थल व समय पर पहुँचने हेतु संबंधित अधिकारियों / कार्मिकों को आदेशित करना सुनिश्चित करें। • संभागियों हेतु दो समय के चाय नाश्ते एवं एक समय के वर्किंग लंच की व्यवस्था सुनिश्चित करावें। • प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं तकनीकी सहयोग हेतु एमआईएस सपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

नोट :–

- आमुखीकरण प्रशिक्षण के सफल एवं व्यवस्थित संचालन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों में से प्रशिक्षण समन्वयक/संयोजक नियुक्त करना सुनिश्चित करें एवं नियुक्त किये गये अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण प्रशिक्षण शाखा की ई–मेल आई.डी rajsmsa.training@gmail.com पर दिनांक 14/12/2018 तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2018 तक जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों की कोई अन्य बैठक आयोजित न की जावें।
- भोजन एवं जलपान व्यय प्रबंधन मद में प्रभारित करें।
- आमुखीकरण प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् तीन दिवस में विस्तृत प्रतिवेदन प्रशिक्षण शाखा की ई–मेल आई.डी rajsmsa.training@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
- आमुखीकरण प्रशिक्षण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की स्पष्टता हेतु श्री मोहित कुमार, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर से मोबाईल नम्बर 9461273879 पर संपर्क कर सकते है।

अतः उक्तानुसार एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण के सफल आयोजन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प/जय/Training/2018–19/9424 दिनांक : 14.12.2018

प्रतिलिपि – आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. **संबंधित जिला प्रभारी, समसा एवं प्रशिक्षण दल सदस्य को पत्र प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एक जिले के लिये एक दिन की अवधि (प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक) निर्धारित की गई है। अतः उक्तानुसार प्रशिक्षण संचालन सुनिश्चित करें।**
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
7. कार्यालय प्रति।

अति. राज्य परियोजना निदेशक